डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांकः सम्ब0 / 3561 2024
दिनांक 8 / 8 / 2024

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
प्रबन्धक / सचिव,
1. मेजर अंगद सिंह महाविद्यालय, मैनपुरी–063 2. श्री उदयवीर सिंह महाविद्यालय, जौनई, आगरा–585 3. श्री राजवीर सिंह मैमोरियल, महाविद्यालय, मथुरा–057 4. श्री दुर्गपाल सिंह महाविद्यालय, पिनाहट, आगरा–348 5. सुखराम कालेज ऑफ एजूकेशन, आगरा–585

विषयः–महाविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त निरीक्षण मण्डल से निरीक्षण आख्या उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक क्रम संख्या 01 से 05 तक अंकित महारविद्यालयों द्वारा शासन के पोर्टल पर विश्वविद्यालय से सत्र 2024–25 में अस्थायी / स्थायी सम्बद्धता प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया था। जिसपर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार निरीक्षण दल का गठन समयान्तर्गत कर सूचना प्रेषित कर दी गयी थी। **परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में लगातार सूचना प्रेषित करने के उपरान्त भी ऑनलाइन निरीक्षण आख्या एवं पत्रावली शासन द्वारा जारी समय–सारिणी के अनुसार उपलब्ध नही कराई गई थी।** ऐसे प्रकरणों को सम्बद्धता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें समिति द्वारा आवेदन को निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी है। महाविद्यालयों द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सत्र 2024–25 में सम्बद्धता विस्तारण की मांग की गयी है, जिसको माननीय कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, माननीय कुलपति जी द्वारा गठित पैनल से निरीक्षण न कराने के सम्बन्ध में शपथ पत्र के साथ स्पष्ट आख्या प्राप्त किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः तद्नुसार अवगत होते हुये निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालय का स्थलीय भौतिक निरीक्षण किन कारणों से नही कराया गया है, के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या के साथ शपथ पत्र आज ही प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में प्रकरण से शासन को अवगत कराते हुये सम्बद्धता प्रत्याहरण की कार्यवाही प्रचलित कर दी जायेगी।

भवदीय,
8/8/2024
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभारी कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. अधिकृत ऐजेन्सी को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना को **ऊपर अंकित कम संख्या 01 से 05** तक के महाविद्यालयों की लॉगिन में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
3. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

Affisvlett